



उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

UTTAR PRADESH GRAMIN BANK
(सरकार के स्वामित्वाधीन अनुसूचित बैंक)
(Scheduled Bank Owned by Government)

सार्वजनिक बिक्री/
नीलामी सूचना
(अचल सम्पत्तियों हेतु)

क्षेत्रीय कार्यालय :
पंत नगर, गण्डा
फोन नं. 05262-232303
E-mail : rmgon@prathamaupbank.com

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु नीलामी सूचना

नीलामी प्रक्रिया से 'वित्तीय अस्तित्वों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2022 के अंतर्गत जो प्रतिभूति (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित है, अचल/चल संपत्तियों की बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

जनसाधारण और विशेष रूप से उधारकर्ताओं, जमानतकर्ताओं, बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल/चल संपत्ति (यों) जिन्हें बैंक के पक्ष में गिरवी / बंधक रखा गया था एवं जिनका सांकेतिक कब्जा **उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक** (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, की नीलामी 'जहां है जैसा है', 'जहां है जो है' और 'जो भी हो' के अनुसार निम्नलिखित उधारकर्ता (ओं), बंधककर्ता (ओं) और जमानतकर्ताओं से प्रतिभूत राशि की वसूली के लिए की जाएगी। बिक्री की तारीख, आरक्षित मूल्य, EMD राशि एवं अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण (कोई अधिभार ज्ञात नहीं) निम्नानुसार है।

नीलामी की तिथि व समय : 30.12.2025 (11 बजे) नीलामी स्थल - क्षेत्रीय कार्यालय, पंतनगर, गण्डा प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात अधिभार : कोई अधिभार ज्ञात नहीं

शाखा का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	अ) डिमांड नोटिस की तिथि	अ) आरक्षित मूल्य
खाते का विवरण	बंधक/सम्पत्ति मालिक का नाम	13(2) सरफेसी नियम 2002	ब) धरोहर धनराशि
उधारकर्ता/जमानतकर्ता/ खाता का नाम एवं पता	बंधक सम्पत्ति/या परिसम्पत्ति से सम्बन्धित सभी भाग एवं हिस्सों सहित	ब) बकाया राशि स) कब्जा की तिथि, 13(4) सरफेसी नियम 2002	(धरोहर राशि जमा करने का अन्तिम तिथि)
		द) कब्जा का प्रकार-रचनात्मक सांकेतिक/भौतिक कब्जा	स) वृद्धिशील बिड धनराशि

शाखा : इटियाथोक, जिला-गण्डा

उधारकर्ता : एबीटी फिलिंग सेंटर प्रो. श्रीमती पूनम त्रिपाठी पत्नी सर्वेश त्रिपाठी निवासी रघुकुल विद्यापीठ के पास सिविल लाइन, गोंडा - 271001	मौजा करुवा पारा परगना, तहसील एवं जिला-गोंडा में स्थित गाटा संख्या 869 के एक किता भूखंड भाग, क्षेत्रफल 0.188 हेक्टेयर का बंधक। संपत्ति का स्वामित्व विलेख 29.09.2011 को बही संख्या 1, जिल्द संख्या 6579, पृष्ठ संख्या-191 से 210, क्रमांक-9271 में उप-पंजीयक गोंडा के पास पंजीकृत है।	अ) 01.07.2024	अ) रु. 1,05,00,000.00
जमानतकर्ता: श्री संतोष कुमार त्रिपाठी पुत्र अटल बिहारी त्रिपाठी, 906 सिविल लाइन, गोंडा-271001	बौद्ध (डीड के अनुसार) : पश्चिम-चक चंद्रमान तिवारी, पूर्व-रोड उत्तर-चक चंद्रमान तिवारी, दक्षिण-चक चंद्रमान तिवारी और राधारमण।	ब) रु. 37,22,135.00 + ब्याज दिनांक 30.09.2025 से प्रभावी एवं अन्य खर्च व वसूली घटाकर यदि कोई हो	ब) रु. 10,50,000.00 (29.12.2025)
बंधककर्ता : श्री सर्वेश कुमार त्रिपाठी पुत्र अटल बिहारी त्रिपाठी, 906 सिविल लाइन, गोंडा -271001		स) 28.11.2023	स) रु. 50,000.00
		द) सांकेतिक कब्जा	

शाखा : सकरौरा, जिला-गण्डा

उधारकर्ता व बंधककर्ता: अलकेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री अकबाल बहादुर सिंह निवासी-ग्रा. बसेहिया, पो. बरगदी, परगना-स्वारिच, तहसील करनालगंज, जिला-गण्डा	आराजी/प्लॉट नंबर- गाटा नंबर 37(स) का हिस्सा, एरिया 4356 वर्गफिट गांव/मौजा-बसेहिया, परगना-स्वारिच, तहसील-करनालगंज, जिला-गोंडा में है। प्रॉपर्टी की सेल डीड सब रजिस्ट्रार-ऑफिस करनालगंज, जिला-गोंडा में बुक नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 2248, पेज नंबर 275 से 284 पर क्रमांक संख्या 218 पर 09.01.2007 को रजिस्टर्ड है।	अ) 30.11.2021	अ) रु. 14,55,000.00
जमानतकर्ता : श्री अकबाल बहादुर सिंह पुत्र श्री बिजलेश्वर सिंह, श्री समर बहादुर सिंह राजपूत पुत्र श्री जगदीश सिंह, भागवत सिंह राजपूत	बौद्ध (डीड के अनुसार) : उत्तर-घसीटे की जमीन, दक्षिण-चक रोड, पूर्व-घसीटे की जमीन, पश्चिम-नानू की जमीन।	ब) रु. 14,94,120.00 + ब्याज दिनांक 30.09.2025 से प्रभावी एवं अन्य खर्च व वसूली घटाकर यदि कोई हो	ब) रु. 1,45,500.00 (29.12.2025)
		स) 14.03.2022	स) रु. 50,000.00
		द) सांकेतिक कब्जा	

सम्पत्ति का पूर्ण विवरण / अन्य जानकारी सम्बन्धित शाखा के पास उपलब्ध है। **नियम एवं शर्तें** : (1) उक्त सम्पत्ति ऊपर दिये गये रिजर्व मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। सम्पत्ति सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेची जायेगी। (2) नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अर्नेस्ट धनराशि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की सम्बन्धित शाखा के पक्ष में देय भुगतान आदेश / माँग ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (ई०एम०डी०) के रूप में सम्बन्धित शाखा पर **दिनांक 29.12.2025 को सायंकाल 4 बजे तक** जमा करानी होगी। (3) नीलामी समापन समय पर सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बोली की 25 प्रतिशत राशि भुगतान आदेश / माँग ड्राफ्ट द्वारा प्रारम्भिक डिपोजिट के रूप में जमा करानी होगी अन्यथा उसकी ई०एम०डी० जब्त कर ली जायेगी। अदा की गयी ई०एम०डी० प्रारम्भिक भुगतान राशि में समायोजित कर दी जायेगी। असफल बोलीकर्ताओं की ई०एम०डी० नीलामी के समय पर ही लौटा दी जायेगी। (4) बोली की शेष राशि विक्रय की स्वीकृति के पश्चात् 15 दिन के भीतर जमा करनी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा की गयी प्रारम्भिक डिपोजिट राशि जब्त कर ली जायेगी और विक्रय की पुष्टि नहीं की जायेगी। (5) जिस सम्पत्ति के लिए क्रेता अपनी ऑफर दे रहा है, उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में देय सभी म्यूनिसिपल / टैक्स / बिजली पानी / अन्य प्रभार ड्यूटीज एवं कर जो भी होंगे भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता की होगी। स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन की अदायगी भी क्रेता के द्वारा ही वहन की जायेगी। (6) प्राधिकृत अधिकारी को बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। (7) यदि ऋणी विक्रय की तारीख से पूर्व बैंक की सम्पूर्ण राशि अदा कर देता है तो नीलामी रद्द कर दी जायेगी। (8) यदि नीलामी के दिन अवकाश घोषित किया जाता है तो नीलामी अगले दिन आयोजित की जायेगी। (9) उक्त सम्पत्ति 'जैसा है, जहां है, जितना है जैसा है' के आधार पर बेची जायेगी। (10) ऋणियों / गारंटीदाताओं को सूचना दी जाती है कि डिमांड नोटिस के अनुसार समस्त राशि (ब्याज एवं अन्य खर्चों सहित) नीलामी की तारीख से पहले जमा करा दें। ऐसा न करने पर सम्पत्ति की नीलामी कर दी जायेगी और बची हुई राशि यदि कोई है, ब्याज एवं खर्चों सहित वसूल की जायेगी।

दिनांक - 29.11.2025

स्थान-गण्डा

प्राधिकृत अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, गण्डा (उ.प्र.)